

प्रेषक,

मौहम्मद आजाद,  
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/  
विशेष न्यायाधीश पोक्सो एकट,  
जालौन स्थान उरई।

सेवा में,

महानिवंधक,  
माननीय उच्च न्यायालय,  
इलाहाबाद।

द्वारा: माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय,  
जालौन स्थान उरई।

विषय: जनपद जालौन के पुलिस अधीक्षक श्री ईराज राजा एवं क्षेत्राधिकारी नगर उरई श्री गिरजा शंकर त्रिपाठी एवं श्री जितेन्द्र कुमार सिंह, प्रभारी निरीक्षक, थाना कोतवाली उरई द्वारा अपराधिक षड्यंत्र कर मानसिक रूप तथा सामाजिक रूप से क्षति पहुँचाने के कारण स्थानांतरण हेतु प्रत्यावेदन।

महोदय,

सरस्मान विनम्र निवेदन है कि प्रार्थी अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पोक्सो एकट के रूप में जनपद न्यायालय जालौन स्थान उरई में कार्यरत है, मेरे समक्ष दिनांक 24.03.2023 को मुकदमा अपराध संख्या 163/2023, अंतर्गत धारा 8/20 एन०डी०पी०एस० एकट में, थाना कोतवाली उरई, जिला जालौन द्वारा एक अभियुक्त सत्यम राजपूत को गिरफ्तार कर अंतर्गत धारा 167 द०प्र०स० के रिमाण्ड हेतु प्रस्तुत किया गया था, जिसमें अभियुक्त उपरोक्त से एक किलो पाँच सौ ग्राम गॉजा बरामद दर्शित किया गया था, जिसमें से 100 ग्राम गॉजा बरामदशुदा माल में से नमूना हेतु अलग निकाल कर सील किया गया बताया था, किन्तु न्यायालय के समक्ष उपरोक्त बरामदशुदा गॉजा तथा उससे निकाला गया नमूना खुलवाया गया, दोनों एक-दूसरे से भिन्न-भिन्न पाये गये, जो किसी भी तरह से एक समान नहीं थे, जिसके कारण न्यायालय द्वारा इस मामले को असत्य पाते हुए अभियुक्त का रिमाण्ड निरस्त किया गया तथा पुलिस कर्मचारीगण द्वारा उपरोक्त अभियुक्त के विरुद्ध झूँठा मुकदमा दर्ज किये जाने के संबंध में कार्यवाही हेतु श्रीमान् पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखा गया, किन्तु संबंधित पुलिस अधीक्षक द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गयी, इसके विपरीत उपरोक्त मामले में तलाशी लेने वाले पुलिस उपाधीक्षक द्वारा इस मामले में कोई कार्यवाही न किये जाने के संबंध में दबाव डाला गया था, जिसके संबंध में सम्पूर्ण आदेश दिनांकित 24.03.2023 श्रीमान् जी के समक्ष अवलोकनार्थ संलग्नक 01 के रूप में शामिल है। चूंकि प्रस्तुत मामले में तलाशी लेने वाले संबंधित क्षेत्राधिकारी और विवेचक एवं गिरफ्तारी करने वाले अन्य पुलिस कर्मचारीगणों के विरुद्ध कार्यवाही होने की सम्भावना थी, किन्तु उपरोक्त प्रकरण की जानकारी दिये जाने के बावजूद भी संबंधित पुलिस अधीक्षक द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गयी। इसके विपरीत उपरोक्त समस्त पुलिस कर्मचारीगण/अधिकारीगण मुझ पीठासीन अधिकारी से रंजिश मानने लगे।

फौजदारी वाद संख्या 82/2023 सरकार बनाम शैलेन्द्र प्रजापति उर्फ सोनू के मामले में मेरे द्वारा दिनांक 04.09.2023 को निर्णय अपने आशुलिपिक से अपने विश्राम कक्ष में बोलकर लिखवाया जा रहा था, उसी समय लगभग प्रातः 10.20 पर क्षेत्राधिकारी उरई श्री गिरजा शंकर त्रिपाठी मेरे विश्राम कक्ष में बिना

पूछे चले आये, मैंने उनसे आने का कारण पूछा, तब उन्होंने कहा कि मुझे एसओपी० साहब ने भेजा है और कहा है कि इस मामले में अभी निर्णय पारित न किया जाए, क्योंकि इस मामले में स्वयं एसओपी० साहब भी अभियुक्त की गिरफ्तारी में शामिल रहे तथा उनके द्वारा यह भी कहा गया कि इस मामले की शासन द्वारा निगरानी की जा रही है। अभियुक्त को अभी जेल में ही रखा जाना था। मेरे द्वारा यह कहने पर कि यह मामला आज निर्णय हेतु नियत है, इस कारण यह मामला स्थगित नहीं किया जा सकता। उपरोक्त क्षेत्राधिकारी महोदय गुरुसे में आ गये तथा उन्होंने एसओपी० साहब के द्वारा मुझ पीठासीन अधिकारी के विरुद्ध शासन द्वारा कार्यवाही किये जाने की घमकी दी और गुरुसे में भविष्य में देख लेने की घमकी देते हुए मेरे विश्राम कक्ष के बाहर चले गये, जिसके संबंध में मेरे द्वारा समस्त विवरण उपरोक्त पत्रावली के आदेश पत्रक में अंकित किया तथा उपरोक्त सम्पूर्ण आदेश पत्रक महोदय के अवलोकनार्थ संलग्नक 2/1 ता 2/6 के रूप में शामिल है।


उपरोक्त के अलावा मेरे द्वारा दिनांक 21.10.2023 में प्रभारी निरीक्षक, थाना कोतवाली उरई के विरुद्ध आदेश पारित किया गया था, जिसकी प्रतिलिपि महोदय के अवलोकनार्थ संलग्नक 03 के रूप में शामिल है। दिनांक 26.10.2023 को अभियुक्त प्रिन्स वर्मा का मुकदमा अपराध संख्या 420/2023, अंतर्गत धारा 7/8 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के तहत अभियुक्त उपरोक्त का रिमाण्ड अंतर्गत धारा 7/8 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम का निरस्त किया गया था तथा विवेचक को समुचित कार्यवाही हेतु आदेशित किया गया था। इसके अलावा दिनांक 21.10.2023 को मुकदमा अपराध संख्या 298/2023 में थाना कालपी की पुलिस द्वारा आरोप पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था, जिसमें विवेचक डा० देवेन्द्र कुमार क्षेत्राधिकारी कालपी द्वारा विवेचना सम्पादित की गयी थी तथा गलत धाराओं में आरोप पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया था तथा उसे न्यायालय द्वारा संशोधित कर संज्ञान लिया गया तथा क्षेत्राधिकारी कालपी को नोटिस जारी किया गया, जिसमें उपरोक्त क्षेत्राधिकारी द्वारा अपनी गलती मानते हुए भविष्य में ऐसी गलती की पुनरावृत्ति न किये जाने का आश्वासन लिखित रूप में प्रस्तुत किया था, जिनकी प्रतिलिपि महोदय के अवलोकनार्थ संलग्नक 4/1 ता 4/3 के रूप में शामिल है।

महोदय मेरे द्वारा उपरोक्त विधिक आदेश किये जाने के कारण जनपद जालौन की पुलिस मुझ पीठासीन अधिकारी से व्यक्तिगत रूप से रंजिश मानने लगी है तथा इसी को दृष्टिगत रखते हुए उपरोक्त पुलिस अधीक्षक ईराज राजा तथा क्षेत्राधिकारी उरई श्री गिरजा शंकर त्रिपाठी व श्री जितेन्द्र कुमार सिंह प्रभारी निरीक्षक, थाना कोतवाली उरई द्वारा मुझसे व्यक्तिगत रंजिश मानकर अपने अंहकार के वशीभूत होकर मेरे विरुद्ध अपराधिक षड्यंत्र किया जा रहा है तथा इस अपराधिक षड्यंत्र के तहत मेरे व्यक्तिगत मोबाइल की काल डिटेल बिना मेरी जानकारी के संबंधित पुलिस अधिकारीगण द्वारा निकाली गयी है तथा मेरे मोबाइल को सर्विलान्स पर भी लगाया गया तथा मेरी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का विधि विरुद्ध रूप से हनन किया गया तथा मेरे संज्ञान में यह तथ्य भी आया है कि उपरोक्त पुलिस अधिकारीगण द्वारा इस अपराधिक षड्यंत्र के तहत कुछ दस्तावेजों की कूटरचना कर माननीय उच्च न्यायालय में मुझ पीठासीन अधिकारी के विरुद्ध झूँठी शिकायत प्रेषित की गयी है, किन्तु संबंधित पुलिस द्वारा मेरे विरुद्ध उक्त शिकायत में क्या लिखा गया है, मुझे इस संदर्भ में कोई जानकारी नहीं हो पायी। महोदय मुझे पूर्ण

आशंका है कि जनपद जालौन के उपरोक्त पुलिस अधिकारियों द्वारा मेरे या मेरे परिवार के विरुद्ध रंजिशन कोई भी अपराधिक षड्यंत्र कर कार्यवाही की जा सकती है, इस कारण मैं अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करने में मानसिक रूप से असमर्थ पा रहा हूँ तथा मेरे मरितष्ठ में हमेशा पुलिस द्वारा कोई झूठी अपराधिक कार्यवाही मेरे या मेरे परिवार के सदस्यों के विरुद्ध कर दिये जाने का डर बना रहता है। इस कारण मैं मानसिक रूप से अत्यन्त प्रताड़ित महसूस कर रहा हूँ। मेरे द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त समस्त तथ्यों की गहनता से जाँच कराकर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध न्यायसंगत कार्यवाही किये जाने की कृपा की जाए एवं मेरा स्थानांतरण जनपद जालौन से किसी अन्य जनपद में कर दिया जाए, जिससे कि मैं बिना किसी भय से अपने पदेन कर्तव्यों का निर्वहन कर सकूँ। माननीय महोदय की अति कृपा होगी।

आदर सहित।

दिनांक: 14.12.2023

भवदीय,  
  
 (मोहम्मद आजाद),  
 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश /  
 विशेष न्यायाधीश पोक्सो एकट,  
 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश  
 विशेष न्यायाधीश पोक्सो एकट  
 जालौन, राजा-ए-उमर


Lalender Singh  
Date  
18.3.2023 07/03/2023  
Mobile No. 9371069  
singh.lalender54@gmail.com

राजसंकेत - १

BST  
18/10/23


ग्रामीण निवास - दिल्ली रोड 828  
मु. अ. स. 163/2023  
लोकनाथ

खेती रहे दासी 2  
31132116700  
24.03.2023



## केवल नकल के लिये

प्रार्थना पत्र देने की तारीख	नकल तैयार होने की तारीख	नकल वापिस दिये जाने की तारीख	नकल वापिस देने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर
18-10-2023 अमित शर्मा लैट्र	21-10-2023 अमित शर्मा लैट्र	21-10-2023	प्रधान व्यवस्थापना (हस्तिल) जनरल न्यायालय उड़ई



न्यायालय: विशेष न्यायाधीश एन०डी०पी०एस० एकट, जालौन स्थान उरई।

दिनांक: 24.03.2023

आदेश

आज विवेचक श्री गौरव कुमार मिश्र द्वारा अभियुक्त सत्यम राजपूत पुत्र रामसिंह, निवासी ग्राम खेड़ा शिलाजीत, थाना जरिया, जिला हमीरपुर को मु030स0 163/2023 अंतर्गत धारा 8/20 एन०डी०पी०एस० एकट थाना कोतवाली उरई जिला जालौन द्वारा मेरे समक्ष गिरफ्तार किया जाकर मय माल गाँजा के प्रस्तुत किया, जिसमें अभियुक्त के पास से 1 किलो-500 ग्राम दर्दीत किया गया था, जिस माल माल में से 100 ग्राम गाँजा निकाल कर बत्तीर नमूना सील मुहर किया गया था तथा शेष नाल 1 किलो 400 ग्राम अलग से सील मुहर कर मेरे समक्ष प्रस्तुत किया गया। मेरे द्वारा नमूना मुहर 100 ग्राम तथा बरामदशुदा माल 1 किलो 400 ग्राम जिसमें से उपरोक्त नमूना माल निकाला जाना बताया गया है, तथा बरामदशुदा माल में जो गाँजा पाया गया, वह गाँजे के पौधे के फूलने वाले सिरे पाये गये तथा जो बरामदशुदा माल जिसमें से उपरोक्त नमूना मुहर निकाला जाना बताया गया है, उसमें किसी भी प्रकार से कोई गाँजे के पौधे के फूलने व फूलने वाले सिरे नहीं पाये गये, उसमें केवल पत्तियाँ, जो कि रण में नमूना मुहर से विल्कुल भिन्न हैं, पायी गयी। उपरोक्त नमूना मुहर से निकला माल किसी भी प्रकार से बरामदशुदा माल से मेल नहीं खाता है। दोनों माल मिन्न-मिन्न प्रकार के हैं। उपरोक्त नमूना मुहर जो कि विधि विज्ञान प्रयोगशाला परीक्षण हेतु भेजी जानी थी, उसमें संबंधित पुलिस द्वारा चुद्ध गाँजे को रखा गया, जबकि बरामदशुदा माल जो एक किलो घार सौ ग्राम के रूप में प्रस्तुत किया गया है, उसमें चुद्ध गाँजा प्रतीत नहीं होता है। उपरोक्त दोनों माल को देखने से प्रथम दृष्टया स्पष्ट होता है कि अभियुक्त उपरोक्त को इस मामले में झूठा फरंसाया है तथा जो अभियुक्त की सविधान प्रदत्त मौलिक स्वतंत्रता को बाधित करता है, जो एक गम्भीर प्रकृति का अपराध है। इस प्रकार का कृत्य क्षमा योग्य नहीं है। अभियुक्त सत्यम राजपूत पुत्र रामसिंह, निवासी ग्राम खेड़ा शिलाजीत, थाना जरिया, जिला हमीरपुर का रिमाण निरस्त किया जाता है, तथा इस मामले के मुकदमा वादी उपनिरीक्षक संदीप सिंह पीएनओ 152450555 तथा हमराही को 1668 निरस्त किया गया है, जिसे न्यायालय द्वारा बरामदशुदा एक किलो घार सौ ग्राम में से 50 ग्राम माल एवं नमूना मुहर जो कि विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजा जाना था, उसमें से भी 50 ग्राम माल निकाल कर न्यायालय में सील मुहर कर दिया गया है, जिसे न्यायालय के आदेश से विधि विज्ञान प्रयोगशाला में इस जांच हेतु भेजा जायेगा कि दोनों बरामदशुदा माल एक ही प्रकार के अथवा मिन्न-मिन्न प्रकार के हैं।

प्रस्तुत मामले में इस मामले के विवेचक श्री गौरव कुमार मिश्र द्वारा भी अत्यन्त लापरवाही की गयी है, उसके द्वारा इस मामले की ठीक ढंग से विवेचना नहीं की जा रही थी और न ही उसके द्वारा बरामदशुदा माल को देखा गया और न ही मामले के तथ्यों की समुचित रूप से जांच की गयी।


खंडनक - 2

अमावस्या २०१२ दिन को २५-११-१८ बजे / श्री रघुवंशीया (प्राप्ति)  
२०१२ ) जलोन साठे ३२५  
- भूगत्ता कोटि ८२ / २०२३



२०१२-१३-११

फोटो स्टेट कार्ड



<del>፳፻፲፭</del> ፳፻፲፭-፳፻፲፮ <b>መግለጫውን አገልግሎት</b>			
አንቀጽ ፪ ይህ ደረሰኝ መቀመሪያ ይህ ደረሰኝ መቀመሪያ	አንቀጽ ፫ ይህ ደረሰኝ መቀመሪያ ይህ ደረሰኝ መቀመሪያ	አንቀጽ ፬ ይህ ደረሰኝ መቀመሪያ ይህ ደረሰኝ መቀመሪያ	አንቀጽ ፭ ይህ ደረሰኝ መቀመሪያ ይህ ደረሰኝ መቀመሪያ

## የክፍል በቅድር የዳታ



न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश / विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एकट)  
जालौन स्थान उरई।

रु०

21

किपिनल केस सं० 82/2023  
सरकार द्वनाम

शैलेन्द्र प्रजापति उर्फ सोनू आदि

मु०आ०सं० १०/२०२३  
धारा- ३७६ ३१,३२८,५०६ भा०द०सं०  
व ५जी/६ पॉक्सो एकट  
व ६७बी आई०टी० एकट  
थाना - रेढर  
जिला जालौन।

दिनांक:- ०७.०७.२०२३

आज यह आरोप पत्र विवेचक द्वारा अभियुक्तगण शैलेन्द्र प्रजापति उर्फ सोनू व राज उर्फ गुल्लू के विरुद्ध अन्तर्गत धारा- ३७६ ३१,३२८,५०६ भा०द०सं० व ५जी/६ पॉक्सो एकट व ६७बी आई०टी० एकट थाना- रेढर ने प्रस्तुत किया। मैंने विवेचक द्वारा प्रस्तुत समरत अभियोजन प्रपत्रों का अवलोकन किया।

गया। मैंने विवेचक द्वारा प्रस्तुत समरत अभियोजन प्रपत्रों का अवलोकन किया। अभियुक्तगण शैलेन्द्र प्रजापति उर्फ सोनू व राज उर्फ गुल्लू के विरुद्ध अन्तर्गत धारा- ३७६ ३१,३२८,५०६ भा०द०सं० व ५जी/६ पॉक्सो एकट व ६७बी आई०टी० एकट थाना रेढर का प्रथम दृष्ट्या अपराध बनता है। अतः प्रसंज्ञान लिया जाता है।

आदेश हुआ कि मुकदमा दाखिल कर्ता वाद के रूप में दर्ज हो। अभियुक्तगण शैलेन्द्र प्रजापति उर्फ सोनू व राज उर्फ गुल्लू जेल में निरुद्ध हैं। पत्रावली दिनांक १३.०७.२०२३ को वास्ते देने नकले पेश हों।

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश /  
विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एकट)  
जालौन स्थान उरई।

52  
18-10-2023



सूची - (2/2)

न्यायालयः अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पोक्सो एक्ट), जालौन रखान उरई।

फौजदारी वाद संख्या-६२/२०२३

सरकार

पनाम

शैलेन्द्र प्रजापति उर्फ़ सोनू।

दिनांक 13.07.2023

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर अभियुक्तगण शैलेन्द्र प्रजापति उर्फ़ सोनू व राज उर्फ़ गुल्लू जेरे हिरासत उपस्थित आए।

विद्वान् सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) तथा अभियुक्तगण के विद्वान् अधिवक्ता को आरोप विरचन के बिन्दु

पर सुना गया।

विद्वान् सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) ने मामले के तार्थों को रखा तथा उस साक्ष को पढ़कर सुनाया, जिसे वह अभियुक्तगण शैलेन्द्र प्रजापति उर्फ़ सोनू व राज उर्फ़ गुल्लू के विरुद्ध अंतर्गत धारा 376डी. 328, 506 गाठद०सं० व धारा 5जी/६ लैंगिक अपराधों से वालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 व 67वीं आईटी०एक्ट का आरोप विरचित किये 506 गाठद०सं० व धारा 5जी/६ लैंगिक अपराधों से वालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 व 67वीं आईटी०एक्ट का आरोप विरचित किये जाने हेतु पाठा साक्ष है। अतः अभियुक्त के विरुद्ध तदनुसार आरोप विरचित किया जाता है।

अभियुक्तगण शैलेन्द्र प्रजापति उर्फ़ सोनू व राज उर्फ़ गुल्लू को उपरोक्तनुसार आरोपित किया गया। अभियुक्तगण ने अपने विरुद्ध लगाये गये आरोपों से इकार किया और विचारण की याचना की। अतः मुकदमा वास्ते साक्ष दिनांक २०/७/२३ की पेश है। अभियोजन साक्षी तत्त्व किये जाये।

*[Signature]*  
उपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/  
विशेष न्यायाधीश (पोक्सो एक्ट),  
जालौन रखान उरई।

→ शैलेन्द्र प्रजापति  
→ शैलेन्द्र प्रजापति

20/7/2023  
विवरण अनुसार शैलेन्द्र प्रजापति  
प्राप्ति की तारीख 28/6/2023  
विवरण अनुसार 28/6/2023 शैलेन्द्र प्रजापति  
मालू (गुल्लू)  
विवरण अनुसार 28/6/2023  
मालू (गुल्लू)

7  
8

~~प्रिया~~ → २०१८/०८/०५ (गोलेक्षण उत्तराखण्ड)  
 बिहारी गोलेक्षण विभाग  
 अमृतपुर में जन्म  
 जन्म १०/८/०५  
 जन्म दर्शक अ.प्रदेश  
 बिहारी गोलेक्षण विभाग  
 संस्कृत

अशोक → २०१८/०८/०५  
 बिहारी गोलेक्षण विभाग  
 बिहारी गोलेक्षण विभाग  
 बिहारी गोलेक्षण विभाग  
 बिहारी गोलेक्षण विभाग  
 बिहारी गोलेक्षण विभाग

२०१८/०८/०५ → १०/०८/२३  
 बिहारी गोलेक्षण विभाग  
 बिहारी गोलेक्षण विभाग  
 १०/०८/२३ लालू पुरा  
 २०१८/०८/०५ बिहारी गोलेक्षण विभाग

अपर जिला एवं राष्ट्र विभाग  
 विशेष व्यवायारीकरण  
 एवं विभाग

काला घोड़ा

२८

(2/3)

१०१४ (मिम)

— अधिकारी विलेस २/८  
अधिकारी विलेस २/८

१६  
८

अधिकारी विलेस  
अधिकारी विलेस

(ग) शिल्प उदायी

— (ग) १०४५ (मिम)

(ग) शिल्प उदायी (ग) २०१७/११९८

अधिकारी विलेस



Splendens  
var.

१६१४ (मिम)

— अधिकारी विलेस

५२  
१८/१०/२०२३

संक्षिप्त विवर

सं.

२५

१५/८/२३

$\frac{23}{8}$

वार्षिक विवर  
 विवरण विवरण  
 विवरण ३११ संग्रह विवरण  
 विवरण १ विवरण २  
 विवरण ३ विवरण ४  
 विवरण ५ विवरण ६  
 विवरण ७ विवरण ८  
 विवरण ९ विवरण १०



२३/८/२३ - वार्षिक विवरण ३११ संग्रह ४१६  
 विवरण ३११ संग्रह ४१६

(५) शेलेक्स उदाहरण

(६) राज्यपाल

१५/८/२३ - वार्षिक विवरण ३११ संग्रह  
 विवरण ३११ संग्रह

(७) शेलेक्स उदाहरण

(८) राज्यपाल

१५/८/२३ - वार्षिक विवरण ३११ संग्रह  
 विवरण ३११ संग्रह

(९) शेलेक्स उदाहरण

(१०) राज्यपाल

श्रीलोक्य प्रजापति

प्रबुपदपति

दिनांक 04.09.2023

मैं पीठासीन अधिकारी मौहम्मद आजाद आज प्रातः 10 बजकर 15 मिनट पर अपने विश्राम कक्ष में बैठकर फौजदारी वाद संख्या-82 सन 2023 सरकार बनाम शीलेन्द्र प्रजापति उर्फ सोनू में अपने स्टेनो श्री सुरेश कुमार गौतम को निर्णय लिखा रहा था तभी मेरे विश्राम कक्ष में क्षेत्राधिकारी उरई बिना पूछे चले आये, जब मैंने उनसे पूछा कि आप बिना पूछे मेरे विश्राम कक्ष में क्यों आये। मैं जजमेण्ट लिखा रहा हूँ, तब उपरोक्त क्षेत्राधिकारी ने मुझसे कहा कि मुझे एस०पी० साहब ने भेजा है और कहा है कि इस मामले में निर्णय पारित न किया जाए, क्योंकि एस०पी० साहब इस मामले में अभियुक्त को पकड़वाने में स्वयं शामिल रहे हैं तथा शासन द्वारा इस केस में ज्ञानकारी की जा रही है। मेरे द्वारा कहा गया कि यह मामला आज निर्णय में नियत है मैं किसी भी स्थिति में निर्णय नहीं टाल सकता, तब उपरोक्त क्षेत्राधिकारी महोदय अत्यधिक गुस्से में आ गये और कहा कि आप एस०पी० साहब को नहीं जानते हैं तथा इस केस पर शासन द्वारा निगरानी की जा रही है, अगर आपने इसमें निर्णय पारित किया, तो आपके खिलाफ एस०पी० साहब शासन स्तर से कार्यवाही करा देंगे। उपरोक्त क्षेत्राधिकारी को अपने विश्राम कक्ष से चले जाने के लिए कहा, तब उपरोक्त क्षेत्राधिकारी गुस्से में भविष्य में देख लेने की धमकी देते हुए चले गये। उपरोक्त क्षेत्राधिकारी का यह कृत्य पूर्ण रूप से न्यायालय की अवमानना की श्रेणी में आता है तथा इस क्षेत्राधिकारी के द्वारा एक अपर जनपद न्यायाधीश को इस तरह से धमकी देना न्यायपालिका की गरिमा के प्रतिकूल है, जिसके कारण मुझे बहुत मानसिक तनाव हुआ है कि भविष्य में मेरे खिलाफ कोई झूठी कार्यवाही न कर दे। इस संबंध में श्रीमान् जनपद न्यायाधीश को पत्र प्रेषित किया जायेगा।

अखर जिला एवं ज़िला न्यायाधीश  
विशेष स्थानकीश प्रधानी एवं  
ज़ालीन, रथाम-ज़र्ज़

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश / विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एकट, जालौन स्थान उरई।

फौजदारी वाद संख्या-82 सन 2023

सरकार  
दिनांक 04.09.2023

प्रति

शैलेन्द्र प्रजापति उर्फ सोनू आदि।

रुट:

(215)

पेश हुआ। मुकारा गया। पुकार पर अभियुक्तगण शैलेन्द्र प्रजापति उर्फ सोनू तथा राज उर्फ गुलू जेरे हिसासत उपरिस्थित। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

### आदेश

फौजदारी वाद संख्या-82 सन 2023, मु030स0-90/2023, अंतर्गत धारा-376डी, 328, 506 भा030स0 व धारा-5जी/6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 एवं 67वीं आईटीएकट, थाना रेडर, जिला जालौन के आरोप से अभियुक्तगण शैलेन्द्र प्रजापति उर्फ सोनू तथा राज उर्फ गुलू को दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्तगण शैलेन्द्र प्रजापति उर्फ सोनू तथा राज उर्फ गुलू जिला काशगार में निरुद्ध है। अभियुक्तगण शैलेन्द्र प्रजापति उर्फ सोनू तथा राज उर्फ गुलू का रिहाई परवाना तैयार कर अविलम्ब जिला काशगार प्रेषित किया जाए।

प्रत्येक अभियुक्त द्वारा धारा 437(क) द0प्र0स0 के अनुपालन में अंकन 25,000-25,000/-रुपये (पच्चीस-पच्चीस हजार रुपये) का व्यक्तिगत बंधपत्र तथा समान धनराशि के दो-दो प्रतिमू अंदर एक सप्ताह प्रस्तुत करें। उक्त बंधपत्र एवं प्रतिमूपत्र 06 माह की अवधि तक प्रभावी रहेंगे, इसके पश्चात बंधपत्र और प्रतिमूपत्र निरस्त समझे जायें। इस निर्णय की प्रति जिला मणिस्ट्रेट, जालौन स्थान उरई को प्रेषित की जाए।

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/  
विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एकट,  
जालौन स्थान उरई।



शैलेन्द्र प्रजापति  
215 प्रजापति

PREPARED BY PHOTO-STAT MACHIN  
Words About 1550

TRUE-COPY  
Head Copiest (Civil)  
Distl. Judge's Court  
ORAI

२८ - २/८

प्रेषक,

मौहम्मद आजाद,  
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/  
विशेष न्यायाधीश पोक्सो एकट,  
जालौन स्थान उरई।

सेवा में,

माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय,  
जालौन स्थान उरई।

महोदय,

ससम्मान विनम्र निवेदन है कि मैं पीठासीन अधिकारी मौहम्मद आजाद आज प्रातः 10 बजकर 15 मिनट पर अपने विश्राम कक्ष में बैठकर फौजदारी वाद संख्या-82 सन 2023 सरकार बनाम शैलेन्ड्र प्रजापति उर्फ सोनू मुकदमा अपराध संख्या-90 सन 2023, अतर्गत धारा-376डी, 328, 506 भा०द०सं० व ५जी/६ पाक्सो एकट व ६७बी आई०टी०एकट थाना रेंडर जिला जालौन में अपने स्टेनो श्री सुरेश कुमार गौतम को निर्णय लिखा रहा था तभी मेरे विश्राम कक्ष में क्षेत्राधिकारी उरई बिना पूछे चले आये, जब मैंने उनसे पूछा कि आप बिना पूछे मेरे विश्राम कक्ष में क्यों आये। मैं जजमेण्ट लिखा रहा हूँ तब उपरोक्त क्षेत्राधिकारी ने मुझसे कहा कि मुझे एस०पी० साहब ने भेजा है और कहा है कि इस मामले में निर्णय पारित न किया जाए, क्योंकि एस०पी० साहब इस मामले में अभियुक्त को पकड़वाने में खयं शामिल रहे हैं तथा शासन द्वारा इस केस में जानकारी की जा रही है। मेरे द्वारा कहा गया कि यह मामला आज निर्णय में नियत है मैं किसी भी स्थिति में निर्णय नहीं टाल सकता, तब उपरोक्त क्षेत्राधिकारी महोदय अत्यधिक गुस्से में आ गये और कहा कि आप एस०पी० साहब को नहीं जानते हैं तथा इस केस पर शासन द्वारा निगरानी की जा रही है, अगर आपने इसमें निर्णय पारित किया, तो आपके खिलाफ एस०पी० साहब शासन स्तर से कार्यवाही करा देंगे। यह सुनकर मैंने उपरोक्त क्षेत्राधिकारी को अपने विश्राम कक्ष से चले जाने के लिए कहा, तब उपरोक्त क्षेत्राधिकारी गुस्से में भविष्य में देख लेने की धमकी देते हुए चले गये। उपरोक्त क्षेत्राधिकारी का यह कृत्य पूर्ण रूप से न्यायालय की अवगानना की श्रेणी में आता है।

अतः श्रीमान् जी से निवेदन है कि प्रस्तुत मामले में उपरोक्त क्षेत्राधिकारी के विरुद्ध न्यायालय की अवगानना हेतु समुचित कार्यवाही करने की कृपा करें।

आदर सहित।

दिनांक: 04.09.2023

मवदीय,

२८ - ८/११३

(मौहम्मद आजाद),  
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/  
विशेष न्यायाधीश पोक्सो एकट,  
जालौन स्थान उरई।

संग्रहनक - ३

विशेष वायालप विशेष वायालप विशेष वायालप

मुद्रा ३१० - ४०० - ५२० / २०२३

५२०१२


४८

५५६ - ८५६

७२  
२०/०१/२३


३१२२१ ८० ५५६-८५६/२३





## केवल नकल के लिये

प्रार्थना पत्र देने की तारीख	नकल तैयार होने की तारीख	नकल वापिस दिये जाने की तारीख	नकल वापिस देने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर
27/10/23 आठवाँ अक्टूबर 2023	30/10/23 तीस अक्टूबर 2023	30/10/23 तीस अक्टूबर 2023	प्रधान प्रतिलिपिक (सिहिल) जनपद-न्यायालय रुड़



न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट, जालौन स्थान उरई।

दिनांक: 26.10.2023

आज दिनांक 26.10.2023 को मुकदमा अपराध संख्या 420/2023 अंतर्गत धारा 363, 366 भाइंडोसं ० व ७/८ लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012, थाना कोतवाली उरई, जिला जालौन के अंतर्गत अभियुक्त प्रिंस वर्मा का अंतर्गत धारा 167 द०प्र०सं० में न्यायिक रिमाण्ड हेतु मेरे समक्ष प्रस्तुत किया गया। मेरे द्वारा समस्त केस डायरी एवं पीड़िता के बयान अंतर्गत धारा 161 व 164 द०प्र०सं० का अवलोकन किया गया। अभियुक्त प्रिंस वर्मा का रिमाण्ड दिनांक 22.10.2023 को उपरोक्त मामले में निरक्षार कर रिमाण्ड मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत कर प्राप्त किया गया था तथा रिमाण्ड मजिस्ट्रेट द्वारा आज दिनांक 26.10.2023 तक का स्वीकार किया गया है, उसके पश्चात विवेचक द्वारा मेरे समक्ष उपरोक्त अंतर्गत धारा 363, 366 भाइंडोसं० व ७/८ लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 अग्रिम रिमाण्ड हेतु प्रस्तुत किया गया। पीड़िता ने अपने धारा 161 द०प्र०सं० के बयानों में अपने घर से अकेले जाना बताया है तथा अभियुक्त प्रिंस वर्मा के द्वारा उसे किराये के कमरे में रिथत मुहल्ला नया रामनगर उरई में रखा जाना बताया है तथा यह भी कथन किया है कि अभियुक्त प्रिंस वर्मा उसके साथ कोई गलत काम नहीं किया है। अभियुक्त प्रिंस वर्मा उसके पास आता जाता था तथा पीड़िता ने अपने बयान अंतर्गत धारा 164 द०प्र०सं० के बयानों में अभियुक्त प्रिंस वर्मा का घटना में शामिल होना नहीं बताया है, बल्कि किसी भी माहित नाम के व्यक्ति के साथ गुजरात जाना बताया है तथा विवेचक द्वारा जो केस डायरी प्रस्तुत की गयी, उसमें किसी भी व्यक्ति के बयान धारा 161 द०प्र०सं० में ऐसा कोई साक्ष्य नहीं आया है कि अभियुक्त प्रिंस वर्मा द्वारा पीड़िता के ऊपर लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 7 में परिभाषित लैंगिक हमला कारित किया हो। अतः उपरोक्त समस्त केस डायरी के अवलोकन से स्पष्ट है कि अभियुक्त प्रिंस के विरुद्ध लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत कोई मामला विवेचक विवेचना के दौरान पाता है, तब इस न्यायालय के समक्ष अभियुक्त को अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत कर सकता है। चूंकि प्रस्तुत मामले में अभियुक्त के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत मामला प्रथम दृष्टया बनता प्रतीत होता है। इस कारण अभियुक्त को रिमाण्ड हेतु संबंधित सेत्राधिकार याले न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें।

आदेश

अभियुक्त प्रिंस वर्मा का मुकदमा अपराध संख्या 420/2023 अंतर्गत धारा 7/8 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012, थाना कोतवाली उरई, जिला जालौन के अंतर्गत रिमाण्ड निरस्त किया जाता है। अगर मविष्य में अभियुक्त के विरुद्ध लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत कोई मामला विवेचक विवेचना के दौरान पाता है, तब इस न्यायालय के समक्ष अभियुक्त को अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत कर सकता है। चूंकि प्रस्तुत मामले में अभियुक्त के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत मामला प्रथम दृष्टया बनता प्रतीत होता है। इस कारण अभियुक्त को रिमाण्ड हेतु संबंधित सेत्राधिकार याले न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें।

26.10.2023  
(मैहम्मद आजाद)  
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/  
विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट),  
जालौन स्थान उरई।



TRUE COPY  
Hrld Copiest (Civil)  
Dist. Judge's Court  
ORAI

PREPARED BY PHU. U-STAT MACHIN

Words About 250

२०१८-१९

ચાપાભા વિશેષ પાપાધીશ પાવલી સ્વરૂપ જાલીમણ રાખ

મું અ. રી. - ૨૭૮/૨૦૨૩

૨૫૦૧૮


૨૫

આન-ક રાખ

૨૭/૧૦/૨૩  
૭૮



જાલી સ્વરૂપ પાવલી



## केवल नकल के लिये

प्रार्थना पत्र देने की तारीख	नकल तैयार होने की तारीख	नकल वापिस दिये जाने की तारीख	नकल वापिस देने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर
१२/१०/२३ रामदिल - ४५६७२ संग पी. इनार टेलि	१०/१०/२३ तीरा अवट्टहर संग पी. इनार टेलि	२०. १०. २३	प्रधान प्रतिनिधि (सिविल) जनपद-न्यायालय उम्र



४०-५१

सेवा मे

मार्ग न्यायालय विशेष न्यायाधीश पांस्को एकट महोदय  
जनपद जालौन स्थान उरई

विषय- मु0आ0स0 298/2023 धारा 377 भादवि व 5G/6 पाक्सो एकट व 3(2)V SC/ST ACT थाना  
कालपी जनपद जालौन वनाम आनन्द यादव अंगिट में धाराओं के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण आख्या।

महोदय

निवेदन है कि मु0आ0स0 298/2023 धारा 377 भादवि व 3/4(2) पाक्सो एकट व 3(2)V  
SC/ST ACT थाना कालपी जनपद जालौन वनाम आनन्द यादव आदि पंजीकृत होकर विवेचना मुझ  
क्षेत्राधिकारी द्वारा सम्पादित की गयी। दौरान विवेचना मुकदमा उपरोक्त के पीडित आशीष के साथ दो  
अंगिरा मण द्वारा सामूहिक रूप से लैंगिंग अपराध किये जाने के साक्ष्य पाये गये। अंगिरा आनन्द यादव  
के विरुद्ध धारा 377 भादवि व 5G/6 पाक्सो एकट व 3(2)V SC/ST ACT अपराध पाया गया। परन्तु  
सहवन से धारा 5G/6 पाक्सो एकट की जगह धारा 3/4(2) पाक्सो एकट मे आरोप पत्र प्रेषित कर दिया  
गया। अविष्य से इसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी।

स्पष्टीकरण सादर सेवा मे प्रेषित है।

दिनांक अक्टूबर 26. 2023

(डा० डेवेल कमर)  
मौजूदवाले कालपी  
न्यायाधीश कालपी  
जनपद जालौन

PREPARED BY PHOTO-STAT MACHIN

Words About ४०



TRUE-COPY  
Hcst J Copiest (Civil)  
Distt. Judge's Court  
ORA

ए। ५१२

८३४

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश / विशेष न्यायाधीश (पोक्सो एक), जालौन स्थान उरई।

मु030स0-298/2023,  
धारा-377 माऊद०स० व ३/४ लैंगिक अपराधों  
से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा  
३(2)(5) एस.सी./एस.टी. एकट, थाना कोतवाली  
कालपी, जिला जालौन।

नोटिस

बनाम  
डॉ देवेन्द्र कुमार  
क्षेत्राधिकारी कालपी, जनपद जालौन।

दिनांक 21.10.2023

यह कि उपरोक्त मु030स0-298/2023, धारा-377 माऊद०स० व ३/४ लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा ३(2)(5) एस.सी./एस.टी. एकट, थाना कोतवाली कालपी, जिला जालौन में बाद विवेचना आरोप पत्र उपरोक्त धाराओं में प्रेषित किया गया है, जिसके संबंध में न्यायालय द्वारा संज्ञान लेने के पूर्व अवलोकन किया गया। अभियुक्त को विलद आपके द्वारा आरोप पत्र उपरोक्त धाराओं में प्रेषित किया, जबकि दो व्यक्तियों द्वारा सामूहिक रूप से पीड़ित के साथ लैंगिक अपराध किये का साक्ष्य आपके द्वारा एकत्र किया गया है। अभियुक्त आनन्द यादव के विलद अपराध अंतर्गत धारा 377 माऊद०स० व लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा ५(जी) / ६ व धारा ३(2)(5) एस.सी./एस.टी. एकट के अंतर्गत पाया गया तथा इन्हीं धाराओं में न्यायालय द्वारा प्रथम दृष्ट्या मामला पाते हुए संज्ञान लिया गया है, किन्तु आपके द्वारा जो आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया है, वह कम गम्भीर धाराओं में प्रेषित किया गया है। आप इस आशय का स्पष्टीकरण देकर दिनांक 26.10.2023 को प्रातः न्यायालय में उपस्थित हों कि आपके द्वारा यह कृत्य जानबूझकर किया गया अथवा सहवन हुआ है। आपके द्वारा कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत न किये जाने की दशा में आपके विलद समुचित कार्यवाही की जायेगी।

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश /  
विशेष न्यायाधीश (पोक्सो एकट),  
जालौन स्थान उरई।



TRUE COPY *10* PREPARED BY PHOTOSTAT MACHINE  
Head Copiest (Civil) Wards About 250  
Distt. Judge's Court  
ORAI

रुद्र - ५१३

न्यायालय: अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश / विशेष न्यायाधीश (पोक्सो एकट), जालौन स्थान उर्द्ध।

मु030स0-298/2023,  
धारा-377 भा०द०स० व ३/४ लैंगिक अपराधों  
से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा  
3(2)(5) एस.सी./एस.टी. एकट, थाना कोतवाली  
कालपी, जिला जालौन।

दिनांक: 21.10.2023

थाना कालपी द्वारा अभियुक्त आनन्द यादव पुत्र ज्ञान सिंह के विरुद्ध धारा 377 भा०द०स० व ३/४ लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा 3(2)(5) एस.सी./एस.टी. एकट के अंतर्गत आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया है। इस मामले के नाबालिंग पीड़ित के साथ अप्राकृतिक कृत्य किये जाने के संबंध में अभियुक्त आनन्द यादव तथा अपचारी अकित के विरुद्ध यह मुकदमा दर्ज हुआ था तथा दोनों व्यक्तियों के विरुद्ध पीड़ित के साथ अप्राकृतिक कृत्य किये जाने का पुलिस द्वारा प्रेषित आरोप पत्र में प्रथम दृष्टया साक्ष्य पाया गया, जिसके संदर्भ में पीड़ित ने अपने बयान अंतर्गत धारा 161 व 164 द०प्र०सं० के बयानों में कथन किया है कि उपरोक्त दो व्यक्तियों के द्वारा उसके साथ गलत हरकत किया जाना बताया गया है तथा चिकित्सीय परीक्षण में भी पीड़ित के साथ अपराधिक बल का प्रयोग किये जाने का साक्ष्य आया है तथा पीड़ित ने अपने धारा 164 द०प्र०सं० के बयानों में उपरोक्त दोनों व्यक्तियों द्वारा उसके साथ अप्राकृतिक मैथुन किये जाने का कथन किया है। चूंकि पीड़ित के साथ दो व्यक्तियों द्वारा सामूहिक लैंगिक हमला करित किया गया है, जो कि लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 5(जी) के अंतर्गत सामूहिक प्रवेशन लैंगिक हमले की परिभाषा में आता है तथा पर्याप्त साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध है। प्रस्तुत मामले में विवेचक डा० देवेन्द्र कुमार क्षेत्राधिकारी कालपी द्वारा विवेचना सम्पादित की गयी है। अभियुक्त आनन्द यादव के विरुद्ध अंतर्गत धारा 377 भा०द०स० व ३/४(2) लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा 3(2)(5) एस.सी./एस.टी. एकट के अंतर्गत आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया तथा अपचारी अकित के विरुद्ध विवेचना जारी होने का अंकन अपने प्रेषित आरोप पत्र में किया गया है। क्षेत्राधिकारी कालपी द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध गम्भीर धाराओं में आरोप पत्र प्रेषित न करके कम गम्भीर धाराओं में आरोप पत्र प्रेषित किया गया है, जो अत्यन्त लापरवाही का ध्योतक है। क्षेत्राधिकारी कालपी उपरोक्त जो कि पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी है, उनके द्वारा मामले में विवेचना के पश्चात जो आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया है, वह अत्यन्त लापरवाही से प्रेषित किया गया है। क्षेत्राधिकारी श्री देवेन्द्र कुमार को इस आशय की नोटिस जारी हो कि वह न्यायालय में दिनांक 26.10.2023 को प्रातः 10.00 उपरिख्यात होकर कारण दर्शित करें कि उनके द्वारा उपरोक्त कृत्य जानबूझकर नहीं किया गया है। अभियुक्त आनन्द यादव के विरुद्ध अपराध का संज्ञान अंतर्गत धारा 377 भा०द०स० व लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 5(जी)/6 व धारा 3(2)(5) एस.सी./एस.टी. एकट के अंतर्गत संज्ञान लिया जाता है। अभियुक्त का धारा 309 द०प्र०सं० का घारण्ट तैयार कर जिला कारागार प्रेषित हो। पत्रावली वास्ते सुनवाई आरोप दिनांक 26.10.2023 को पेश हो।

26-२०१०१  
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/  
विशेष न्यायाधीश (पोक्सो एकट),  
जालौन स्थान उर्द्ध।



## केवल नकल के लिये

प्रार्थना पत्र देने की तारीख	नकल तैयार होने की तारीख	नकल वापिस दिये जाने की तारीख	नकल वापिस देने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर
27/10/23 रामेश्वर मुख्य मंत्री संघर्ष केन्द्रीय	30/10/23 वीर अवृद्धि रमेश्वर मंत्री केन्द्रीय	30.10.23	प्रधान प्रतिलिपिक (रिहिल) जनरल-व्यापालय उड़ी

